

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15()2014/कार्मिक-स्ट्रेथ/प्रमुवसं/4361-82 दिनांक: 12/5/14
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त,
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)
राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता) राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव भरतपुर/
वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी. कोटा।
मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर/वन वर्धन जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक बनास नदी परियोजना जयपुर।

विषय:- राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दायर डी.बी.स्पेशल अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 में दिये गये आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 14 (4)कार्मिक/क-5/2014 दिनांक 29.04.2014 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दायर डी.बी. स्पेशल अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को दिये गये आदेश के संबंध में दिनांक 10.04.2006 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी/संविदा कर्मी जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है कि सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी है। अतः राज्य सरकार के उक्त पत्र के क्रम में आपके संभाग की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिवस में फ़ैक्स द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाया जाना संभव हो सके।
संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय,

(ए.बी. रामटेके)

मुख्य वन संरक्षक, एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

अतिआवश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्र. प. 14 (4) कार्मिक/क-5/2014

जयपुर, दिनांक 29.04.2014

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर।

विषय:-राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दायर डी.बी. स्पेशल अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को दिये गये आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को दिये गये निर्णय की पालना में माननीय उच्च न्यायालय को शीघ्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु कृपया आपके अधीनस्थ विभागों में दिनांक 10.04.2006 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी/संविदा कर्मियों, जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया हो, की सूचना पत्र के पृष्ठ भाग में अंकित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के संबंध में प्रशासनिक विभाग उनके नियंत्रणाधीन संस्थाओं की सूचना अपने स्तर से संकलित कर इस विभाग को भिजवायेंगे।

कृपया इसे सवोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

कार्मिक/क-5
29.04.2014

प्रपत्र

विभाग का नाम:-.....

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा की श्रेणी दैनिक वेतन भोगी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/अन्य	विभाग में प्रथम नियुक्ति की दिनांक	दिनांक 10.04. 2008 को सेवा की अवधि	वर्तमान में कार्यरत है/नहीं	27.02.2009 के तहत नियुक्ति योग्य है/नहीं	वर्तमान में मिल रहे वेतन एवं अन्य परि लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ0 5(2)डीओपी/ए-ग/2008 दिनांक 27.2.2009 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई /नहीं की गई। यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें।

2. अन्य संबंधित विवरण.....